राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/2020/ 42650 दिनांक: 19.8.20

शासन सचिव,
वन विभाग, राजस्थान।

विषयः–वृक्षारोपण कार्यक्रम 2020 हेतु नगरीय निकायों को पौधे उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भः–वन विभाग के आदेश कमांक प.9(5)वन/2016 दिनांक 16.06.2016

वन विभाग के आदेश कमांक प.15(20)वन/94 दिनांक 23.10.2012 के कम सं. 4 पर अंकित शर्त अनुसार राजकीय विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, भारतीय स्काउट एवं गाईड, एनसीसी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं/ट्रस्टों को एक रू. प्रति पौधे की दर से अधिकतम 1000 पौधे दिये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त शर्त में आंशिक शिथिलता प्रदान करते हुए, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा अभियान से सम्बद्ध विभागों को पौधे उपलब्ध कराये जाने की 1000 पौधों की उक्त अधिकतम सीमा से अग्रिम आदेशों तक छूट प्रदान की गयी थी। वर्तमान में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पत्रांक 35799–36027 दिनांक 15.07.2020 के माध्यम से मानसून 2020 के दौरान समस्त नगरीय निकायों में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न नगरीय निकायों को पौधारोपण हेतु लक्ष्य प्रदान किये गये है। चूंकि यह लक्ष्य 1000 से अधिक है, अतः आपसे निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम हेतु 1000 पौधों की उक्त अधिकतम सीमा में छूट प्रदान करते हुए अपने विभाग के संबंधित अधिकारियों को अभियान हेतु आवश्यक पौधे एक रू. प्रति पौधे की दर से उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित करें, ताकि उक्त कार्यक्रम का सुगमता से संचालन संभव हो सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/2020/ 42651–889 दिनांक: 19.8.20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन एवं पर्यावरण विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
5. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/उदयपुर।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका (समस्त), राजस्थान।
8. प्रोग्रामर, आई. टी. सैल वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

19/8/20
(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/2020/35799-36027 दिनांकः 15/07/2020

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–मानसून 2020 के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु।

राज्य के समस्त शहरों में मानसून 2020 के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। अतः समस्त नगरीय निकायों द्वारा मानसून पूर्व वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन संबंधित जिलों एवं शहरों में किया जायेगा।

वृक्षारोपण कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन सभी जिलों एवं शहरों में चिन्हित वृक्ष कुंज साईट, शहरी वनीकरण साईट एवं वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त अन्य जगह में किया जायेगा।
2. वृक्षारोपण के लिये लम्बे (5 से 10 फुट) व स्वस्थ्य पौधो की उपयुक्त प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाये जायेगे।
3. राजस्थान पवित्र पेड़ों के लिये जाना जाता है, जिनमें से बहुत सारे वनीय क्षेत्रों में पाये जाते है। ये पेड़ क्षेत्र की जैव विविधता एवं वनस्पतियों को हरा भरा बनाये रखता है। शहरी क्षेत्रों में वृक्ष कुंज एवं शहरी वनीकरण स्थलों की रक्षा हेतु पारम्परिक पारिस्थितिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों एवं जनता के समर्थन का उपयोग किया जाये।
4. नगर निकाय अपने शहरी क्षेत्रों में शहरी सड़कों के किनारे वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। इन सभी स्थानों में पौधे की एक ही प्रजाति के या दो या तीन प्रजातियों का वृक्षारोपण एक सड़क पर करेंगे। इससे समान वृक्षों जैसे

अमलतास, गुलमोहर, जकरन्दा, कचनार, बकेन/नीम, शीशम व अन्य वृक्ष आदि के वृक्ष कुंज विकसित होंगे।

5. जनप्रतिनिधि वृक्षारोपण कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। यह महत्वपूर्ण है कि जनप्रतिनिधि स्थानीय लोगो को वृक्षारोपण एवं वृक्ष संरक्षण के लिये प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान करें जिसके लिये जनप्रतिनिधियो की सलाह एवं इनपुट्स प्राप्त किये जाये। प्रत्येक वृक्षारोपण कार्यक्रम स्थल पर व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जायेगा एवं माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, पार्षद, अन्य जनप्रतिनिधि/प्रभावशील/प्रतिष्ठित लोगो एवं स्थानीय लोगो को वृक्षारोपण समारोह में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाये।

6. पर्यावरण के लिये लोगो में जागरूकता बढ़ाने के लिये विभिन्न प्रचार प्रसार से संबंधित गतिविधियों जैसे स्कूलों के बच्चों की रैलियां, पेमप्लेट्स एवं बैनर वितरित किये जाये तथा जिला एवं शहरों में प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।

7. सभी जिला कलक्टर्स अपने अपने जिलों में गैर सरकारी संस्थानो, सरकारी संस्थानों, आमजन, वनकर्मी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कृषिकर्मी व अन्य सरकारी पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगे।

8. वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी आमंत्रित प्रतिभागी वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिये शपथ ग्रहण करेगे। शपथ ग्रहण का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है।

9. वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान लगाये जाने वाले सभी पौधे वन विभाग के आदेश क्रमांक प.9(5)वन/2016 दिनांक 16.06.2016 के अनुसार वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान होने वाले अन्य सभी खर्चो को संबंधित नगरीय निकाय द्वारा स्वयं की निधि से उनको प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के अनुसार वहन किया जायेगा।

10. सभी आयुक्त/अधिशाषी अधिकारीगण, जिले के प्रभारी मंत्री/सचिव एवं जिला कलक्टर से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वृक्षारोपण कार्यक्रमों के संबंध में गतिविधियो एवं कार्यो के लिये सभी संसाधनों की व्यवस्था एवं मीडिया में व्यापक प्रचार प्रसार की सही एवं प्रभावी व्यवस्था हो गई है।

शुभकामनाओं सहित।

संलग्नः–1. वृक्षारोपण कार्यक्रम 2020 के दौरान निकांयवार पौधारोपण का लक्ष्य।

2. शपथ पत्र।

3. वन विभाग का आदेश क्रमांक प.9(5)वन/2016 दिनांक 16.06.2016

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/2020/36028-076 दिनांकः 15/07/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. माननीय प्रभारी मंत्री (समस्त जिले)।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन एवं पर्यावरण विभाग से निवेदन है कि अपने विभाग के संबंधित अधिकारियों को उक्त वृक्षारोपण अभियान में सहयोग प्रदान करने एवं आवश्यक तैयारी करने हेतु निर्देशित करें।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।

8. जिला कलक्टर (समस्त) से निवेदन है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम 2020 की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विभागों के मध्य जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करें।
9. क्षेत्रीय उपनिदेशक (समस्त) स्वायत्त शासन विभाग।
10. मुख्य अभियंता, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।
11. प्रोग्रामर आईटी प्रकोष्ठ, निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12. सुरक्षित पत्रावली।

15/07/20

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

वृक्षारोपण कार्यक्रम 2020 के दौरान निकायवार पौधारोपण का लक्ष्य

क. सं.	निकाय का नाम	पौधों की संख्या (प्रति नगर निकाय)	कुल पौधों की संख्या
1.	नगर निगम, जयपुर (हेरिटेज)	30,000	30,000
	नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर)	50,000	50,000
2.	नगर निगम, कोटा (उत्तर)	30,000	30,000
	नगर निगम, कोटा (दक्षिण)	30,000	30,000
3.	नगर निगम, जोधपुर (उत्तर)	30,000	30,000
	नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)	30,000	30,000
4.	शेष नगर निगम (4)	30,000	1,20,000
5.	समस्त नगर परिषदें (34)	5,000	1,70,000
6.	समस्त नगर पालिकाऐं (152)	2,500	3,80,000
	कुल योग		**8,70,000**

शपथ प्रारूप

राजस्थान मेरा प्रदेश है। इसकी जल, मृदा एवं वृक्ष संपदा हमारी धरोहर है। मैं सत्यनिष्ठा के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता/करती हूं कि मैं मेरे द्वारा रोपित पौधों एवं राज्य की जल संरक्षण संरचना एवं मृदा रूपी धरोहर की, एक संजग प्रहरी के रूप में, सदैव रक्षा करूंगा/करूंगी, उनकी सुरक्षा एवं उनके संवर्धन के लिए मन, वाणी एवं कर्म से प्रयत्नशील रहूंगा/रहूंगी।

2016 15:46 SECY1.FOREST

परिशिष्ट-3

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.9(5)वन/2016 जयपुर, दिनांक : 16-06-2016

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.15(20)वन/94 दिनांक 23.10.2012 के क्रम संख्या 4 पर अंकित शर्त अनुसार राजकीय विभागो, शैक्षणिक संस्थानों, भारतीय स्कॉउट एवं गाईड, एन.सी.सी. एवं स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों को एक रूपये प्रति पौधे की दर से अधिकतम 1000 पौधे दिये जाने का प्रावधान है। उक्त शर्त मे आंशिक शिथिलता प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा अभियान से सम्बद्ध विभागों को पौधे उपलब्ध कराये जाने की 1000 पौधों की उक्त अधिकतम सीमा से अग्रिम आदेशों तक छूट प्रदान की जाती है।

(योगेन्द्र कुमार दक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज/जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग/कृषि/उद्यानिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग (महानरेगा), राजस्थान जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. प्रमुख विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आप अपने स्तर से समस्त वनाधिकारियों को प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. संभागीय आयुक्त, अजमेर/भरतपुर/जयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/ उदयपुर।
9. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर....................
11. विशिष्ठ सहायक, वनमंत्री, राजस्थान जयपुर।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
13. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रिवर बेसिन एण्ड वाटर प्लानिंग ऑथोरटी, राजस्थान जयपुर।

(कुमार स्वामी गुप्ता)
विशेषाधिकारी, वन

D:\office matter\9(5)16 hi ten.docx